Hfa-57
09/09/19

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश: शाहदरा, कड़कड़डूमा, दिल्ली

संदेश

हिन्दी दिवस

14 सितंबर,2019

"हिन्दी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।"

भारत में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं परन्तु देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए राजभाषा हिन्दी का प्रचार व प्रसार करने की अति आवश्यकता है जिससे भारत में अनेकता में एकता दिखाई देती है। इस संदर्भ में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिन्दी दिवस मनाये जाने का विशेष महत्व है। इसी दिन भारतीय संविधान सभा में हिन्दी भाषा को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था।

हिन्दी भाषा हमारी पहचान है तथा राष्ट्रीय एकता की मज़बूत कड़ी के रूप में विशेष भूमिका निभा रही है। आज के समय में हिन्दी भाषा इलैक्ट्रोनिक्स, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, विज्ञापनों, फिल्मों जैसे विभिन्न संचार के माध्यमों में लोकप्रिय हो चुकी है। आजकल न्यायालयों व कार्यालयों में कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरणों की उपलब्धता होने से हिन्दी में कार्य करना पहले से अधिक सरल हो गया है।

दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिनांक 26.01.2004 से प्रभावी हो चुका है जिसमें हिन्दी को प्रथम राजभाषा घोषित किया गया है। अतः यह हम सब का संवैधानिक एवं नैतिक दायित्व है कि दैनिक सरकारी कामकाज को सरल एवं सुबोध बनाने के लिए राजभाषा हिन्दी का अधिकाधिक उपयोग करें तथा अपने सहकर्मियों को भी इस दिशा में प्रोत्साहित करें।

आइए, हिन्दी दिवस के इस पावन अवसर पर यह संकल्प लें कि हम सब एक साथ मिलकर मन, वचन और कर्म से राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार में सक्रिय होकर सहयोग देंगे और राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगे।

जय हिन्द!

(ए.एस. जयचंद्रा) 7/9/19
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली

संदेश की प्रति सूचनार्थ हेतु प्रेषित की जाती है:-

संख्या 6450-6460 हिन्दी/शाह./दिल्ली/2019 दिनांक 7/9/19

1. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
2. जिला न्यायालय, शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा, दिल्ली, के समस्त अधिकारी व कर्मचारीगण।
3. नोडल अधिकारी, हिन्दी अनुभाग, शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
4. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
5. प्रशासनिक अधिकारी, हिन्दी अनुभाग, पूर्व, शाहदरा एवं उत्तर-पूर्व जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली ।
6. प्रशासनिक-अधिकारी, देख-रेख शाखा, शाहदरा जिला को इस अनुरोध के साथ कि अपने अधीनस्थ कर्मचारी को निर्देश दें कि न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें।
7. प्रशासनिक-अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, तीस हज़ारी/कड़कड़डूमा न्यायालय, को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. प्राप्ति एवं निर्गमन शाखा, शाहदरा जिला को लेयर्स (LAYERS) पर अपलोड करने हेतु।
9. रीडर अधोहस्ताक्षरी ।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली